बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना दिनांक– 06/08/.....

विषयः–लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आसूचना एवं कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को पुरस्कार देने की योजना की स्वीकृति के संबंध में।

बालू एवं पत्थर सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों में से एक है। राज्य में बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए बालू/पत्थर की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बालू का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत नदी है। नदी निकायों से बालू की निकासी आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के साथ विनियमित किया जाना है।

2. बालू के अवैध खनन/प्रेषण से प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन एवं पर्यावरण क्षति होता है तथा राजस्व की क्षति भी होती है। बालू के अवैध खनन एवं परिवहन की शिकायतें लगातार प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों का अनुश्रवण विभागीय पदाधिकारियों एवं जिला स्तर पर जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। जिला खनन टास्क फोर्स के निदेश पर जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नियमित कार्रवाई की जाती है। उक्त कार्रवाई से बड़ी संख्या में बिना चालान के अवैध परिवहन के मामले प्रकाश में आते हैं। साथ ही परिवहन चालान में अनुमान्य मात्रा से अधिक बालू परिवहन के मामले भी पाये जाते हैं।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56 में ऐसे मामलों के लिए दण्डात्मक प्रावधान है एवं उक्त प्रावधान के आलोक में जिला स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

4. अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आसूचना तंत्र को विकसित किया जाना आवश्यक है। आसूचना सटीक होने से अवैध खनन एवं परिवहन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे अवैधकर्त्ताओं में कार्रवाई का डर होने से अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगेगा। अवैध परिवहन के संबंध में स्थानीय स्तर से सटीक आसूचना प्राप्त होने और उसपर कार्रवाई से अवैध परिवहन को रोकने में अच्छी सफलता मिलेगी। अवैध खनन एवं परिवहन की सटीक एवं

प्रभावी आसूचना प्राप्त करने के लिए आसूचनादाताओं के लिए पुरस्कार (Reward) का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। पुरस्कृत करने से आसूचनादाताओं का मनोबल बढ़ेगा एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लग सकेगा एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सकेगी।

5. उल्लेखनीय है कि नियमावली के नियम–56 के तहत अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों से शमन शुल्क के रूप में राशि वसूली जाती है। ट्रैक्टर के लिए ₹25,000/– एवं ट्रकों के लिए ₹2,00,000/– से ₹4,00,000/– तक शमन शुल्क वसूली का प्रावधान है। उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाता है। उक्त राशि में से कुछ अंश आसूचनादाताओं को देने का प्रावधान किया जा सकता है।

6. (i) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आसूचनादाता जिला/खान एवं भूतत्व विभाग स्तर पर कोई सूचना देते हैं एवं प्राप्त आसूचना के आधार पर छापेमारी से सफलता मिलती है तो ऐसे मामलों में ट्रैक्टर के लिए ₹5,000/– (रूपये पाँच हजार) तक तथा ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए ₹10,000/– (रूपये दस हजार) तक संबंधित जिला समाहर्त्ता/विभाग के अनुमोदन से आसूचनादाता को पुरस्कार (Reward) के रूप में दिया जायेगा। पुरस्कार के लिए राशि निर्गत करने हेतु विभाग सक्षम होगा। विभाग व्यवस्था करेगा कि एक मामले में एक ही व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त हो। साथ ही आसूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आसूचनादाता द्वारा अवैध परिवहन संबंधी विशिष्ट सूचना (स्थल जहाँ वाहन खड़ी हो अथवा विशिष्ट मार्ग, जिससे वाहन गुजर रही हो एवं वाहन निबंधन संख्या) देना अनिवार्य होगा।

(ii) आसूचनादाता द्वारा विभागीय पदाधिकारियों/हेल्प लाईन नंबर/ जिला पदाधिकारी सह समाहर्त्ता को आसूचना देने पर छापेमारी के लिए जिला स्तरीय/क्षेत्रीय पदाधिकारी तत्क्षण भेजे जायेंगे। जाँच में शामिल पदाधिकारी द्वारा जाँच/छापेमारी के उपरांत कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन (जप्त वाहन की निबंधन संख्या, वाहन का प्रकार, जप्त खनिज की मात्रा फोटोग्राफ सहित) उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर समाहर्त्ता/विभाग पुरस्कार पर निर्णय लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आसूचनादाताओं की पहचान (मोबाईल सं0, नाम सहित) गुप्त रखना आसूचना पाने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी एवं इसे किसी से भी साझा नहीं किया जाएगा।

7. राशि के व्यय के लिए संबंधित जिला के समाहर्त्ता/निकासी–सह–व्ययन पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग होंगे। उक्त कार्य हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत तत्काल ₹30,00,000/–(रूपये तीस लाख) का उद्व्यय योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त है, जो मुख्य शीर्ष 2853 के विषय शीर्ष पुरस्कार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. प्रस्ताव पर दिनांक 06.08.2024 की बैठक में मद संख्या–09 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

ज्ञापांक–02/एम0एम0(बा0)–41/24(खंड)–...../एम0, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–02/एम0एम0(बा0)–41/24(खंड)–...../एम0, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–02/एम0एम0(बा0)–41/24(खंड)–...../एम0, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–02/एम0एम0(बा0)–41/24(खंड)–...../एम0, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.08.2024 की बैठक में मद संख्या–09 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांक–02 / एम0एम0(बा0)–41 / 24(खंड)–..... / एम0, पटना, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव कोषांग / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सचिव

ज्ञापांक–02 / एम0एम0(बा0)–41 / 24(खंड)–3227 / एम0, पटना, दिनांक–06/08/24
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 06/08/24

D/Birendraji/Sanjay/Sankalp